फैक्स / स्पीडपोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 बीओ/1/2011/एसटीजीजेएच/एसईओटीएच/आर.यू.–III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 16-11-2011

सेवा में,

श्री एस.के. चौधरी,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
रांची

विषय: झारखण्ड राज्य में 85वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी के सरकारी हित में लागू करवाने के संबंध में श्री बिरसाय उरांव, महासचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक सेवा संघ, झारखण्ड रांची का अभ्यावेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा. रामेश्वर उरांव के पत्र संख्या अध्यक्ष/रा.अ.जन.जा./2011-285 दिनांक 21-06-2011 (छायाप्रति संलग्न है) का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि आपको सम्बोधित है। खेद है कि अभी तक इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधित जानकारी/सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

अभ्यावेदन-पत्र के अवलोकन से प्रतीत हुआ है कि अभी तक झारखण्ड राज्य में 85वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सरकारी प्रौन्नतियों से वंचित होना पड़ रहा है। आयोग ने राज्य सरकार की इस उदासीनता को गंभीरता से लिया है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव द्वारा दिनांक 29-11-2011 को मध्याह्न 12.00 बजे सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड शासन, रांची सहित मामले पर चर्चा हेतु व्यक्तिगत तौर पर आयोग में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिनांक को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,
के0डी0 बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति सूचनार्थ:

श्री बिरसाय उरांव, महासचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक सेवा संघ, गौतमबुद्ध मार्ग, इस्ट ए/2, बरियातु रोड, रांची-834009

के0डी0 बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक